न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 03/2014/टोंक (2014/00086)

नजर मोहम्मद पुत्र फेज मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बाड़ा अब्दुलापुरा थाना मेहन्दवास तहसील टोंक जिला टोंक।

अपीलार्थी

बनाम

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुद्य अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
निर्णय दिंनाक 30–12–2013

———

उपस्थितः 1– श्री समीर अहमद खांन अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 28–4–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक शस्त्र संख्या डी.बी.एम.एल. नम्बर 7778 बन्दूक धारक है जिसका अनुज्ञा पत्र संख्या 32/2001 तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक, टोंक द्वारा दिनांक 30–06–2007 तक नवीनीकृत था। अपीलार्थी ने जिला कलक्टर टोंक के निर्देशानुसार शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 32/2001 गन संख्या 7778 का दिनांक 24–6–2007 को थाना मेहन्दवास में जमा कराकर रसीद प्राप्त कर ली तथा बन्दूक जमा होने के कारण अपीलार्थी अपने उक्त लाईसेंस का नवीनीकरण समय पर नहीं करा सका। इसलिए दिनांक 11–7–2007 को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र पेश किया। जिस पर जिला कलटर टोंक ने अपीलार्थी की निवास सत्यापन व चरित्र संबंधी रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक ने अपनेपत्र क्रमांक 707–08 दिनांक 22–1–2008 के जरिये अपीलार्थी के चरित्र निवास स्थान एवं संबंधी जांच थानाधिकारी मेहन्दवास से कराकर अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि अपीलार्थी के

विरूद्ध मुकदमा नम्बर 74/86 धारा 420, 471, 463, 465 आई.पी.सी में सी0एस0 नम्बर 62/86 के न्यायालय एम.जे.एम टोंक द्वारा दिनांक 10–7–92 को बरी किया गया। मुकदमा नम्बर 57/92 धारा 324,341,323 आईपीसी थाना कोतवाली टोंक में दर्ज हुआ। उक्त टिप्पणी अंकित करते हुए उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक को पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक टोंक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं कर दिनांक 15–2–2008 को निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अपील जिला कलक्टर टोंक के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 30–12–2013 से खारिज कर दी। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के निर्णय दिनांक 30–12–2013 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि धारा 420, 471, 463, 465 आई.पी.सी सीएस नम्बर 62/86 को न्यायालय एम.जे.एम टोंक द्वारा दिनांक 7–10–92 को अपीलार्थी को बरी कर दिय था उसके पश्चात अपीलार्थी ने दिनांक 24–7–2001 को अपना लाईसेंस बनवाया तथा उसके पश्चात ही अपीलार्थी ने उक्त शस्त्र लाईसेंस लिया। उक्त फौजदारी मुकदमा बन्दूक का लाईसेंस लेने से पूर्व का था इसलिए उक्त पुराने मुकदमे के आधार पर नवीनीकरण नहीं रोका जाना चाहिए। जिला पुलिस अधीक्षक टोंक द्वारा अपीलार्थी के चरित्र के संबंध में एवं निवास के संबंध में उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित रिपोर्ट में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया कि अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किया जावे उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर कानूनी भूल की है।

उनका यह भी तर्क है कि जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक को अपने पत्र क्रमांक 1993–90 दिनांक 5–5–2008 द्वारा अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के संबंध में पत्र जारी किया जिसमें उपखण्ड अधिकारी को केवल शस्त्र अनुज्ञा नवीनीकरण के बाबत गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20–9–2007 के सन्दर्भ केवल नवीनीकरण के अधिकार दिये जाने का अंकन किया गया। परन्तु यह भी स्पष्ट किया कि आप अपने स्तर पर शस्त्र अनुज्ञा पत्रों को निरस्त नहीं करे, परन्तु इसके बावजूद भी उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक ने अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किया बल्कि स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त पत्र के विपरीत जाकर कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त किया जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक के आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी।

उनका यह भी तर्क है कि अपलार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 57/92 में दर्ज धारा 324, 323, 341 आई.पी.सी थाना कोतवाली टोंक में दर्ज होना बताया जबकि दिनांक 10–7–95 को ही मुस्तगीस व अपलार्थी के बीच में राजीनामा हो चुका था तथा उक्त मुकदमा भी बन्दूक का लाईसेंस प्राप्त करने से पूर्व का था। बन्दूक का लाईसेंस प्राप्त होने के पश्चात का कोई मुकदमा नहीं है। राजस्थान सरकार गृह विभाग द्वारा जारी नोटिफिकशन दिनांक 15–3–2013 क्रमांक प.1(13)गृह–9/2006 पार्ट के अनुसार जिन मुकदमों के तहत पक्षकारों को दोषमुक्त किये जाने पर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा की है उक्त परिपत्र गृह विभाग द्वारा जारी किया गया है, में स्पष्ट रूप से इस प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण किये जाने बाबत स्पष्टीकरण दिया गया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर कानूनी भूल की है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–12–2013 एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा पारित निर्णय 15–2–2008 निरस्त कर अपीलार्थी के पक्ष में शस्त्र अनुज्ञा पत्र बहाल किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं समय–समय पर जारी परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो, के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। जिला पुलिस अधीक्षक टोंक की रिपोर्ट दिनांक 22–1–2008 में अंकित है कि अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज मुकदमा नम्बर मुकदमा नम्बर 57/92 धारा 324,341,323 आईपीसी थाना कोतवाली टोंक में दर्ज हुआ। किन्तु आपस में राजीनामा हो चुका है किन्तु भविष्य में लोक शांति भंग होने व आपसी झगड़ों को मध्यनजर रखते हुए अपलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की है। अतएव ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, टोंक का निर्णय दिनांक 30–12–2013 एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक का निर्णय दिनांक 15–2–2008 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला पुलिस अधीक्षक टोंक की रिपोर्ट दिनांक 22–1–2008 में अंकित है कि अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज मुकदमा नम्बर मुकदमा नम्बर 57/92 धारा 324,341,323 आईपीसी थाना कोतवाली टोंक में दर्ज हुआ। किन्तु आपस में राजीनामा हो चुका है किन्तु भविष्य में लोक शांति भंग होने व आपसी झगड़ों को मध्यनजर रखते हुए अपलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमें दर्ज होने एवं आपराधिक गतिविधिक को मध्यनजर रखते हुए भविष्य में किसी अनहोनी से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी के अभिभाषक ने बहस के दौरान भी ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि अपीलार्थी को किसी भी प्रकार का जान व माल का खतरा हो और उसे शस्त्र की आवश्यकता हो। जिला मजिस्ट्रेट, टोंक ने जिला पुलिस अधीक्षक टोंक की रिपोर्ट दिनांक 22–1–2008 के आधार पर अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र संख्या 32/2001 निरस्त किया है जो उचित प्रतीत होता है।

जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक की रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक ने अपने आदेश क्रमांक 216 दिनांक 15–2–2008 द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण का आवेदन पत्र निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 32/2001 गन संख्या 7778 को निरस्त कर बन्दूक को संबंधित पुलिस थाना महेन्दवास जिला टोंक में जमा कराने का आदेश पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालयों (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,) टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–12–2013 एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक का आदेश दिनांक 15–2–2008 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28–4–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर